

बिहार गजट असाधारण अंक

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन 1942 (श0) (सं0 पटना 158) पटना, शुक्रवार 12 मार्च 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 12 मार्च 2021

एस० ओ० **84**, दिनांक **12 मार्च 2021**—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 112, दिनांक 06 मई, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 269, दिनांक 06 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को सिवाय ऐसी बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए, बिहार राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जो, —

- (क) भारत का नागरिक नहीं है ; या
- (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या स्थापना ; या
- (ग) स्थानीय प्राधिकारी ; या
- (घ) कानूनी निकाय ; या
- (ङ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ; या

उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (9) के प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए (च) आवेदन करने वाला व्यक्ति ।

> [(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—10) 670)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से. डॉ० प्रतिमा. राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

12 मार्च 2021

एस० ओ० ८४, दिनांक १२ मार्च २०२१ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

> [(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—10) 670)] बिहार राज्यपाल के आदेश से. डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 12th March 2021

- S.O. 84, Dated 12th March 2021—In exercise of the powers conferred by subsection (6D) of section 25 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council and in supersession of the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 112, dated the 06th May, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 269, dated the 06th May, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of section 25 of the said Act shall not apply to a person who is,-
 - (a) not a citizen of India; or
 - (b) a Department or establishment of the Central Government or State Government; or
 - (c) a local authority; or
 - (d) a statutory body; or
 - (e) a Public Sector Undertaking; or
 - (f) a person applying for registration under the provisions of sub-section (9) of section 25 of the said Act.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10) 670] By the order of Governor of Bihar, Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 158-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in